

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा जिला दौसा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज


हटया मुकदमा नं० 01/2023  
बनाम

नम्बर व  
तारीख  
अहकाम जो  
इस हुक्म की  
तारीख को  
जारी हुए।

प्राधानाध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय मोहम्मदपुरा


12.01.23

पत्रावली पेश हुई। वकीलप्रार्थी उपस्थित वकीलप्रार्थी को स्थगन पर सुना गया एवं रिकार्ड अवलोकन किया गया जिससे प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगण को जरिये स्थगन आदेश से पाबंद किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी नं० 226/118 व 296/118 वाके ग्राम मोहम्मदपुरा तहसील राहुवास के रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति आगामी पेशी तक बनाए रखे नोटिस जरिये रजिस्टर्ड एडी किया जाकर पत्रावली दिनांक 13.02.2023 को पेश हो।

  
उपखण्ड अधिकारी  
रामगढ पचवारा(दौसा)

13/02/23

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित प्राधानाध्यापक वरप्रमोद सिंह मोहम्मदपुरा के अंतर्गत वकालतनामा विटलकुशर्मा A व द्वारा फेरा किया एवं मु.पं. 7(1) फेरा किया वास्तु अनंत कश्यप मु.पं. 7(1) है दिनांक 21/02/23 को पेश हो।


  
उपखण्ड अधिकारी  
पचवारा(दौसा)

21/02/23

पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित वकील प्रार्थी हुक्म का मकान पर शर्मा एवं वरमोद हुक्म को Note प्रोसे किया है कठ प्रार्थना एवं वरमोद हुक्म को Note प्रोसे के अतिरिक्त किया गया है। वरमोद प्रेस वरमोद प्रेस के अंतर्गत फेरा है वरमोद प्रेस दाखिल है।

Note  
Prosed

21/2/23

  
उपखण्ड अधिकारी  
रामगढ पचवारा(दौसा)